राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 5.02.2018

परिपत्र–24

विषयः– अनाथ व्यक्तियों को भामाशाह रेजिडेंट डाटा हब (BRDH) के माध्यम से लाभ हस्तांतरण करने बाबत।

जैसा कि विदित है भामाशाह नामांकन के समय व्यक्ति के माता–पिता का नाम दर्ज किया जाता है। ऐसे अनाथ व्यक्ति जिनके परिवार/माता–पिता की जानकारी नहीं होती है, उन्हें भामाशाह नामांकन करवाने तथा विभिन्न लाभकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसे प्रकरणों में निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएः–

1. अनाथ (जिनके परिवार/माता–पिता की जानकारी नहीं हो) व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया जाए। इनके भामाशाह नामांकन में माता–पिता का नाम अंकित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अनाथ व्यक्तियों के भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचनाओं का Deemed verification नहीं होगा।
2. बैंक खाता खोलने/संचालित करने तथा भामाशाह योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु बालिग अनाथ की स्थिति में स्थानीय संरक्षक मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन विमंदित/नाबालिग अनाथ की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा जिला/ब्लॉक स्तरीय राजपत्रित अधिकारी को नामजद स्थानीय संरक्षक मनोनीत किया जाएगा।
3. जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत स्थानीय संरक्षक से संबंधित जानकारी विमंदित/नाबालिग अनाथ व्यक्ति के भामाशाह नामांकन में भी दर्ज की जाएगी।
4. संरक्षक बदलने की स्थिति में नवीन संरक्षक द्वारा विमंदित/नाबालिग अनाथ व्यक्ति के भामाशाह नामांकन में स्वयं की जानकारी दर्ज करवाना तथा उसको भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण होना सुनिश्चित किया जाएगा।

(निहाल चन्द गोयल)
मुख्य सचिव, राजस्थान

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 5.09.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर समस्त, राजस्थान।
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
6. निदेशक तकनिकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, तिलक मार्ग, जयपुर।
7. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जिला..........
8. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.............
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान
10. रक्षित पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना व सू.प्रौ.एवं संचार विभाग

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी.....................
जिला.................................., राजस्थान

क्रमांक   दिनांक

<u>प्रमाण-पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.................................. आयु/जन्म दिनांक................ गत .... वर्षों से .... (निवास स्थान का पता) **पर** निवास कर रहा है। स्थानीय नागरिकों से प्राप्त जानकारी, उपलब्ध अभिलेखों इत्यादि के आधार पर इनको अनाथ मानते हुए भामाशाह नामांकन किया जाए।

उपखण्ड अधिकारी